न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**

आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हिमताराम पुत्र नाथाजी जाति चौधरी निवासी आलवाडा,उचित मूल्य दुकानदार आलवाडा तहसील सायला,जिला जालोर		जिला रसद अधिकारी जालोर

प्रकरण अपील संख्या 28/2018

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

.....

पक्षकारान :-

1-श्री सवाराम चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट।

2-श्री नमिता नारवाल, प्रर्वतन निरीक्षक

निर्णय

दिनांक:- 05.09.2018

1. अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा आदेश दिनांक 09.05.2018 कमांक/रसद/एफपीएस/2018/661 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. अपीलांट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील को subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन सूचित किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में संबंधित पक्षो की बहस सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने व्यक्त किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को दिनांक 08.11.2001 को अपीलांट के पक्ष में उचित किमत दुकानदार के रूप में अधिकार पत्र संख्या 344/2001 को जारी किया गया था। 2001 के बाद मार्च 2018 तक अपीलांट द्वारा विधिवत वितरण व्यवस्था जारी रखी व पिछले 17 सालो में अपीलांट के खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई। शान्तिपूर्वक अपीलांट के द्वारा कार्य किया गया। अपीलांट सहित 6 आदमी दुकानदारो के खिलाफ दिनांक 05.03.2018 को जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा एक नोटिस भेजा गया व उसके बाद अपीलांट को विधिवत तामील नही होने पर पुन:नोटिस दिनांक 05.04.2018 को भेजा गया। जिस पर अपीलांट के अवकाश को स्वीकृत करते हुए जिला रसद अधिकारी जालोर ने आलवाडा की वितरण व्यवस्था नजदीक के मानाराम को नाम से वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखने हेतु आदेश जारी किये गये थे। अपीलांट की रिपोर्ट को प्रर्वतन निरीक्षक अधिकारी जालोर ने सही मानते हुये वितरण व्यवस्था मानाराम के नाम देने की सिफारिश की गई। जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा 05.03.2018 व 05.04.2018 को जारी नोटिस की विधिवत ईत्तला अपीलांट को नही हुई। जिसके कारण उक्त नोटिस का जबाब नही दे पाये। इस पर जिला रसद अधिकारी ने सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलांट का प्राधिकार पत्र खारिज करने में कानुनी भूल की है। क्योकि रेस्पोडेन्ट को सभी दुकानदारो को विधिवत अलग नोटिस दिये जाने चाहिये थे। सभी दुकानदारो के नोटिस देने के कारण भी अलग अलग थे। अपीलांट द्वारा प्राधिकार पत्र खारिज करने पर रिव्यु के रूप में 21.05.2018 को आवेदन पेश किया। जिस पर जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा 26.06.2018 को रसद कमांक 1239 के जरिए अवगत कराया गया कि प्राधिकार पत्र रिव्यु के रूप में पुन: बहाल नही किया जा सकता। इसलिए आप कोर्ट में जाकर नियमानुसार अपील पेश करने की कार्यवाही करे। उक्त नोटिस अपीलांट को करीबन 12.07.2017 को प्राप्त हुआ। जिस पर नकले प्राप्त कर यह अपील अन्दर म्याद पेश की है।

अपीलांट के विरूद्ध ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं है ना ही ग्रामीणो की कोई शिकायत है। सिर्फ अवकाश की बात को लेकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो नियमो के विपरीत है। अपीलांट के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार कर एक बार और मौका देना चाहिए था। अपीलांट ने अपने पक्ष में प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद कोई गलती नहीं की ना रेस्पोडेन्ट के द्वारा कोई नोटिस देने का अवसर दिया। अत: रेस्पोडेन्ट के आदेश संख्या 661/18 दिनांक 09.05.2018 को निरस्त किया जाकर पुन:अपीलांट के पक्ष में प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

4. प्रर्वतन निरीक्षक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलांट डीलर की अवकाश अवधि तीन माह से ज्यादा होने पर वितरण व्यवस्था को नियमित संचालित रखने के निर्देश दिये गये लेकिन निर्देशो के बावजूद वितरण व्यवस्था प्रारंभ नहीं करने के कारण अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। जो विधीवत है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में डीलर द्वारा उचित मूल्य दुकानदारो की अवकाश अवधि तीन माह से अधिक होने व नोटिस जारी कर वितरण व्यवस्था नियमित संचालित करने के निर्देश के बावजूद वितरण व्यवस्था प्रारंभ नहीं करने के कारण प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया अपीलांट को प्रकरण में विधीवत सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। न्यायहित में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाने का अभाव पाया जाता है।

अत: उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कम संख्या 1 पर अंकित श्री हिम्मताराम पुत्र नाथाराम,आलवाडा के विरूद्ध पारित आदेश की सीमा तक अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय दिनांक 05.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर,
जालोर